

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

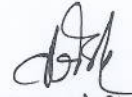
क्रमांक:-एफ3(ख)(1)अति.कार्य/अलेसे-11/

दिनांक 13-8-14

कार्यालय आदेश

श्री गुगन राम ततेरवाल, लेखाकार कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरु अपने वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय प्रमुख जिला कलक्टर, चूरु में लेखाकार के रिक्त पद का कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे ।

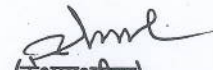
विभागीय आदेश क्रमांक 12350-59 दिनांक 12.07.2014 के द्वारा श्री रामावतार शर्मा, लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु को अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला कलक्टर, चूरु में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने के संबंध में जारी आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)अति.कार्य/अलेसे-11/6708 ~~5~~ 6712
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 13-8-14

- 1 जिला कलक्टर, चूरु ।
- 2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरु ।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु ।
- 4 श्री गुगन राम ततेरवाल , लेखाकार कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरु ।
- 5 श्री रामावतार शर्मा, लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु ।
- 6 कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट प्रकाशन हेतु) ।
- 7 पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली ।


(के.एम.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)